



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122020-223675
CG-DL-E-12122020-223675

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3957]
No. 3957]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4504(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3584(अ) दिनांक 13.10.20, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में NH-148N के कि.मी. 192.30 से कि.मी. 243.40 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थान्दला) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का.आ. 3584(अ) दिनांक 13.10.20 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24.10.20 को फ्री प्रैस और दैनिक भास्कर दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में NH-148N के कि.मी. 192.30 से कि.मी. 243.40 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थान्दला) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।"

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: झाबुआ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: थाँदला				
	गांव का नाम: भामल				
1	589/1	निजी	सिंचित	0.02	धुलेसिंह पिता नाथु सिंह (589/1)
	गांव का नाम: दौलतपुरा				
2	589	निजी	सिंचित	0.04	कस्सू बेवा जितरा (589)
3	601/4	निजी	सिंचित	0.14	हरिसन पिता बदिया (601/4)
4	603/922	निजी	सिंचित	0.02	मखना पिता विसिया व अन्य (603/922)
	गांव का नाम: हेडावा				
5	248/3	निजी	सिंचित	0.04	राकेश पिता मकन (248/3)
6	248/4	निजी	सिंचित	0.01	मखना पिता फुल्जी (248/4)
7	283/2	निजी	सिंचित	0.01	नर्बद पिता ओंकार (283/2)
8	505	निजी	सिंचित	0.01	गोरसिंह पिता ह्करिया (505)

9	555	निजी	सिंचित	0.03	रुस्मल पिता चुनिया व अन्य (555)
गांव का नाम: कलदेला					
10	485/4	निजी	सिंचित	0.04	भान्चंद पिता फतिया भाभर (485/4)
11	485/5	निजी	सिंचित	0.04	खुमचंद पिता फतिया (485/5)
गांव का नाम: कुकडी पाडा					
12	530/2	निजी	सिंचित	0.01	रायचंद पिता जालु व अन्य (530/2)
गांव का नाम: नोगावा नगला					
13	353/1	निजी	सिंचित	0.03	जीवा रामा पिता तेरसिंह व अन्य (353/1)
गांव का नाम: रुपगढ					
14	224	निजी	सिंचित	0.01	वरसिंह पिता पिथा (224/3)
15	27/1	निजी	सिंचित	0.03	भीमचंद पिता कालु व अन्य (27/1)
16	27/3	निजी	सिंचित	0.05	मांगिया पिता हवसिंह (27/3)
17	27/4	निजी	सिंचित	0.04	दुध्रा पिता पांगला व अन्य (27/4)
18	27/7	निजी	सिंचित	0.07	मेतसिंह पिता दीपा (27/7)
19	28	निजी	सिंचित	0.04	तोलिया पिता सकरिया व अन्य (28)
गांव का नाम: तलावडा					
20	1129/4	निजी	सिंचित	0.07	हकरिया पिता गब्जी (११२९/४)
21	1141/1	निजी	सिंचित	0.01	मडिया पिता मोती (११४१/१)
22	1151/5	निजी	सिंचित	0.21	देवजी पिता बाबरिया (११५१/५)
23	1151/6	निजी	सिंचित	0.1	मान्गुडा पिता बबरिया

					(११५१/६)
			कुल	1.07	

[फा. सं. NHAI/PIU-RTM/BM/DVE-MP/2018/LA/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2020

S.O. 4504(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 3584(E) dated 13.10.20, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-148N on the stretch of land from Km. 192.30 to Km. 243.40 (Sub-Divisional Officer (Revenue) Thandla) in the district of Jhabua in the state of Madhya Pradesh

And whereas the substance of the said notification S.O. 3584(E) dated 13.10.20 has been published in Free Press and Dainik Bhaskar both dated 24.10.20; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the NH-148N on the stretch of land from Km. 192.30 to Km. 243.40 (Sub-Divisional Officer (Revenue) Thandla) in the district of Jhabua in the State of Madhya Pradesh.

State: MADHYA PRADESH			District: Jhabua		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Thandla				
	Village: Bhamal				
1	589/1	Private	Irrigated	0.02	Dhul Singh S/o Nathu Singh 589/1
	Village: Daulatpura				
2	589	Private	Irrigated	0.04	Kassu Bewa Bhitra 589

3	601/4	Private	Irrigated	0.14	Harisan S/o Badiya 601/4
4	603/922	Private	Irrigated	0.02	Makana S/o Vishiya & Others 603/922
	Village: Hedava				
5	248/3	Private	Irrigated	0.04	Rakesh S/o Makan 248/3
6	248/4	Private	Irrigated	0.01	Makana S/o Fulji 248/4
7	283/2	Private	Irrigated	0.01	Narbad S/o Onkar 283/2
8	505	Private	Irrigated	0.01	Gorsingh S/o Hakariya 505
9	555	Private	Irrigated	0.03	Rusmal S/o Chuniya & Others 555
	Village: Kaldela				
10	485/4	Private	Irrigated	0.04	Bhavchand S/o Fatiya Bhabhar 485/4
11	485/5	Private	Irrigated	0.04	Khumchand S/o Fatiya 485/5
	Village: Kukadi pada				
12	530/2	Private	Irrigated	0.01	Raychand S/o Jalu & Others 530/2
	Village: Nogawa Nagla				
13	353/1	Private	Irrigated	0.03	Jiva, Rama S/o Tersingh & Others 353/1
	Village: Roopgarh				
14	224	Private	Irrigated	0.01	Varsingh S/o Pitha 224/3
15	27/1	Private	Irrigated	0.03	Bhimchand S/o Kalu & Others 27/1
16	27/3	Private	Irrigated	0.05	Mangiya S/o HavSingh 27/3
17	27/4	Private	Irrigated	0.04	Dudha S/o Pangla & Others 27/4
18	27/7	Private	Irrigated	0.07	Metsingh S/o Deepa 27/7
19	28	Private	Irrigated	0.04	Toliya S/o Sakariya & others 28
	Village: Talawda				
20	1129/4	Private	Irrigated	0.07	hakariya S/o Gavji 1129/4
21	1141/1	Private	Irrigated	0.01	Madiya S/o Moti 1141/1
22	1151/5	Private	Irrigated	0.21	Devji S/o Babariya 1151/5

23	1151/6	Private	Irrigated	0.1	Manguda S/o Babariya 1151/6
			TOTAL	1.07	

[F. No. NHAI/PIU-RTM/BM/DVE-MP/2018/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.